भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1157

उत्तर देने की तारीख-10/12/2025

आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट

1157 **श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6-14 वर्ष के बच्चों का नामांकन जो वर्ष 2022 में 70.8 प्रतिशत था, वर्ष 2024 में घटकर 61.8 प्रतिशत हो गया है;

(ख) अवसंरचना उन्नयन और मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) जैसी योजनाओं के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) गिरावट को रोकने के लिए समय-सीमा सहित प्रस्तावित नीतिगत उपाय क्या हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): यूडाअइज+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) के अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1-8 (प्राथमिक स्तर) में छात्रों का नामांकन क्रमशः 31,71,466 और 26,15,935 है।

(ख) और (ग): भारत सरकार स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक व्यापक कार्यक्रम, समग्र शिक्षा का क्रियान्वयन कर रही है। समग्र शिक्षा का उद्देश्य देश भर में स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल की मूलभूत संरचना में सुधार, सार्वभौमिक पहुँच, लैंगिक समानता लाने, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल पहल, शिक्षक-शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाने, व्यावसायिक शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत पात्रता आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

i. कक्षाओं, बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सहित स्कूल की मूलभूत संरचना का उन्नयन और सुधार, जिससे सरकारी स्कूल अधिक आकर्षक बन सकें।

ii. स्कूल यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए सहयोग।

iii. सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए सहयोग, ताकि बच्चों को कम उम्र से ही औपचारिक स्कूल प्रणाली में प्रवेश मिल सके, जिससे कुल नामांकन में वृद्धि होगी।

iv. स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओईएससी) की पहचान करना और उनके आयु-उपयुक्त कक्षा में उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए सहायता उपलब्ध कराना।

v. सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण और निजी स्कूलों की तुलना में स्कूलों के आकर्षण के अंतर को कम करने के लिए स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल बोर्ड, आईसीटी प्रयोगशालाओं, आभासी कक्षाओं के लिए सहायता।

vi. स्कूल तक पहुँच प्रदान करने के लिए परिवहन सुविधाओं के लिए सहायता।

vii. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए सहायता।

viii. सीमांत/कमजोर वर्गों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों (एनएससीबीएवी) को सहायता, ताकि वे उच्च कक्षाओं तक सुरक्षित आवासीय/स्कूल सुविधा में शिक्षा जारी रख सकें।

ix. शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता।

इसके अतिरिक्त, सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पौष्टिक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए पीएम पोषण योजना (मिड-डे मील) कार्यान्वित की गई है, और समय-समय पर कवरेज, गुणवत्ता, पोषण मानदंडों और नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर प्रभाव के लिए इसका मूल्यांकन किया जाता है।

मूलभूत संरचना की पर्याप्तता/उपयोगिता का आकलन करने और वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री पोषण योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना और बजट, मूलभूत संरचना की कमियों को ध्यान में रखते हुए तैयार/अनुमोदित किया जाता है और ऐसी कमियों को दूर करने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से स्थिति की नियमित निगरानी की जाती है।

आंध्र प्रदेश सरकार सभी सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना का निरंतर मूल्यांकन कर रही है। सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में सुधार के लिए इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पहल की गई हैं -

i. भारत सरकार के पोषण मानदंडों के अनुसार पोषण और शैक्षिक विशेषज्ञों से विधिवत इनपुट लेते हुए, बच्चों की स्थानीय पसंद और उपलब्ध सामग्री के अनुसार क्षेत्रवार मेनू

ii. फोर्टिफाइड उत्तम गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति।

राज्य सरकारों को सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए नामांकन अभियान, घर-घर जाकर अभियान, सामुदायिक गतिशीलता आदि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

****